न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा (राज.)
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र व्यास, **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सेशन प्रकरण संख्या : 269/356/2026
CIS No. : 357/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 226/2016, पुलिस थाना चौपानकी
अपराध अन्तर्गत धारा : 341, 323, 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम	**1. अकबर पुत्र निहाला, निवासी गण्डवा, पुलिस थाना चौपानकी, हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)। ––फौत "कार्यवाही ड्रॉप"––** 2. अरसद पुत्र अकबर, निवासी गण्डवा, पुलिस थाना चौपानकी, हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)।
अधिवक्ता अभियुक्त	विद्वान अधिवक्ता श्री सूरजभान भड़ाणा।
अधिवक्ता परिवादी	श्री नीरज सैनी।

घटना का वर्ष	2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	30.12.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	16.12.2017
आरोप विरचित करने की दिनांक	25.04.2020
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	16.05.2025
निर्णय के लिए नियत दिनांक	02.06.2026
निर्णय दिनांक	02.06.2026

::–:: निर्णय ::–::

दिनांक :– 02.06.2026

1. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.12.2016 को परिवादी श्री फूलचन्द द्वारा इस्तगासा प्रदर्श पी.08 श्रीमान् न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जाति/अनु.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, अलवर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि वह ग्राम गण्डवा, पुलिस थाना चौपानकी, तहसील तिजारा, जिला अलवर का निवासी है, जो जाति से चमार है। दिनांक 29.01.2016 को रात्रि करीब 08:00 बजे की घटना है कि परिवादी व उसकी पत्नी श्रीमती ओमवती उनके खेत खसरा नम्बर 132 रकबा 0.67 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम गण्डवा, पुलिस थाना चौपानगी, तहसील तिजारा, जिला अलवर में अपने हिस्से में जो हिस्सा सडक से लगता हुआ है, में कृषि कार्य कर रहे थे; पानी दे रहे थे। उक्त आराजी परिवादी की पत्नी ओमवती के नाम खातेदारी पर दर्ज हो रही है, जिस आराजी को परिवादी व उसकी पत्नी ने खरीद किया हुआ है, जिसका बयनामा दिनांक 11.06.2008 को परिवादी की पत्नी के नाम उप पंजीयक टपूकड़ा में

पंजीबद्ध हो रहा है। परिवादी व उसकी पत्नी वक्त खरीद के दिन से आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। अपनी बोई हुई फसल में पानी दे रहे थे, तभी मुलजिमान अकबर व अरसद एक राय होकर हाथों में लाठी–फावड़ा आदि लेकर आए और प्रार्थी की आराजी पर जबरन कृषि कार्य करने लगे। प्रार्थी व उसकी पत्नी ने मना किया तो ये लोग प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ गाली–गलौच करने लगे तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी से ऐलानिया कहने लगे कि "साले ढेड़ चमारों तुम्हारा काम तो हमारी जुतिया गाठने का है, तुम जमीन जायदाद को जोत–बो नहीं सकते हो यह काम तो हमारा है। साले ढेड़ चमारों हम तुमको आराजी में किसी भी प्रकार काश्त नहीं करने देगें और जबरन आराजी पर कब्जा करके तुमको बेदखल करके रहेगें।" तथा ये दोनों मुलजिमान बाप–बेटे उसको व उसकी पत्नी को जातिसूचक अपशब्द कहकर काफी अपमानित करने लगे। जब उसने व उसकी पत्नी ने जातिसूचक अपशब्द कहकर अपमानित करने एवं जबरन उनकी जमीन में कब्जा करने के लिए मना किया तो मुलजिम अरशद ने उसकी पत्नी के सिर के बाल पकड़कर उसकी पत्नी को घुमा दिया तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे तथा दोनों बाप–बेटे उसकी पत्नी को लात–घूँसों से मारने–पीटने लग गए तथा मुलजिमान अकबर ने उसके उपर फावड़ी से जानलेवा वार किया, किन्तु वह उस वार से बचकर जमीन पर गिर गया तो मुलजिमान ने उसके जमीन में पड़े हुए के साथ मारपीट की और उसका कुर्ता फाड़ दिया तथा दोनों बाप–बेटों ने उसके साथ लात–घूँसों से मारपीट की और मुलजिमान ने अपने परिवारवालों को भी आवाज देकर बुला लिया तथा इनके अन्य परिवार के लोग भी आ गए और मुलजिमान व अन्य सभी कहने लगे कि "इन साले ढेड़ चमारों को यहीं काट दो, कोई कुछ नहीं बिगाडेगा।" बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए ... .. इत्यादि।

2. उक्त इस्तगासा प्रदर्श पी.08 न्यायालय आदेशिका दिनांक 19.12.2016 के अनुसार पुलिस थाना चौपानकी को अन्तर्गत धारा 156(3), दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते जाँच एवं अनुसंधान भेजा गया, जो दिनांक 30.12.2016 को पुलिस थाना चौपानकी पर प्राप्त होने के उपरान्त उक्त इस्तगासा के आधार पर पुलिस थाना चौपानकी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 226/2016, अन्तर्गत धारा 323, 354, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अकबर एवं अरसद के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 447, 504, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(i)(च), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों का आरोप पत्र श्रीमान् न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, अलवर में प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाते हुए अभियुक्तगण अकबर एवं अरसद के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराधों के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. कालान्तर में दौराने विचारण हस्तगत प्रकरण नवसृजित खैरथल–तिजारा न्यायक्षेत्र की क्षेत्राधिकारिता में होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक No. Gen./T.R.C./15/2026, Dated 17.02.2026 की अनुपालना में हस्तगत न्यायालय को अंतरित किया गया, जो न्यायालय हाजा में दिनांक 21.04.2026 को साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर प्राप्त हुआ, जिसका निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा

किया जा रहा है।

4. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण अकबर एवं अरसद के विरुद्ध धारा 341, 323, 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों के आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर अभियुक्तगण अकबर एवं अरसद को धारा 341, 323, 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

5. उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त अकबर पुत्र निहाला, निवासी गण्डवा, पुलिस थाना चौपानकी, हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अभियुक्त अकबर के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई, अतः यह निर्णय केवल मात्र अभियुक्त अरसद के सम्बन्ध में पारित किया जा रहा है।

6. उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.06.2026 को उभय पक्ष की ओर से परस्पर राजीनामा होने का उल्लेख करते हुए पृथक से राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई शमनीय प्रकृति के आरोपों धारा 323, 341 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता की सीमा तक तस्दीक किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में अभियुक्त अरसद के विरुद्ध केवल मात्र धारा 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के आरोप के संबंध में विचारण शेष रहा है।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है :–

क्रम संख्या	**गवाह संख्या**	**गवाह का नाम**	**किस तथ्य से सम्बन्धित साक्ष्य**
01.	पी.ड.01	डॉ. इरशाद	मेडिकल मुआयना का गवाह
02.	पी.ड.02	रासिद	पुलिस बयान, नक्शा मौका
03.	पी.ड.03	ओमवती	पुलिस बयान/मजरूबा
04.	पी.ड.04	फूलचन्द	ताईद एफ.आई.आर., परिवादी
05.	पी.ड.05	फजरू पुत्र रिगदू	पुलिस बयान
06.	पी.ड.06	विक्रम	पुलिस बयान, नक्शा मौका
07.	पी.ड.07	सिद्धांत शर्मा	अनुसंधान अधिकारी
08.	पी.ड.08	फजरू पुत्र मौजू	पुलिस बयान

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित–प्रमाणित करवाया गया है :–

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**दस्तावेज का नाम**	**दिनांक**

01.	प्रदर्श पी.01	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूबा ओमवती	16.05.2025
02.	प्रदर्श पी.02	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब फूलचन्द	16.05.2025
03.	प्रदर्श पी.03	पुलिस बयान गवाह रासिद	01.06.2026
04.	प्रदर्श पी.04	नक्शा मौका घटनास्थल	01.06.2026
05.	प्रदर्श पी.05	पुलिस बयान गवाह ओमवती	01.06.2026
06.	प्रदर्श पी.06	बयान गवाह–मजरूबा ओमवती अन्तर्गत धारा 164, दण्ड प्रक्रिया संहिता	01.06.2026
07.	प्रदर्श पी.07	पुलिस बयान गवाह फूलचन्द	01.06.2026
08.	प्रदर्श पी.08	इस्तगासा	01.06.2026
09.	प्रदर्श पी.09	चाकशुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट	01.06.2026
10.	प्रदर्श पी.10	जाति प्रमाण पत्र परिवादी फूलचन्द	01.06.2026
11.	प्रदर्श पी.11	बयनामा	01.06.2026
12.	प्रदर्श पी.12	आधार कार्ड की प्रति फूलचन्द	01.06.2026
13.	प्रदर्श पी.13	पुलिस बयान गवाह फजरू पुत्र रिगदू	01.06.2026
14.	प्रदर्श पी.14	पुलिस बयान गवाह विक्रम	01.06.2026
15.	प्रदर्श पी.15	पुलिस बयान गवाह फजरू पुत्र मौजू	02.06.2026
16.	प्रदर्श पी.16	नक्शा ट्रेस	02.06.2026
17.	प्रदर्श पी.17	जमाबन्दी की फोटोप्रति	02.06.2026
18.	प्रदर्श पी.18	मौका रिपोर्ट पंचायत हल्का चूहड़पुर	02.06.2026
19.	प्रदर्श पी.19	मौका पर्चा	02.06.2026
20.	प्रदर्श पी.20	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अकबर	02.06.2026
21.	प्रदर्श पी.21	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अरसद	02.06.2026

9. बचाव पक्ष/अभियुक्त अरसद की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित–प्रमाणित नहीं करवाया गया है।

10. अभियुक्त अरसद का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किए जाने पर उसने अपने विरुद्ध अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य को गलत होना बताते हुए, गवाहान का झूँठ बोलना जाहिर किया और कथन किया कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है तथा कोई साक्ष्य–सफाई प्रस्तुत नहीं करनी चाही। अभियुक्त द्वारा मौका रिपोर्ट पंचायत हल्का चूहड़पुर प्रदर्श पी.18 को स्वीकार किया गया है।

11. बहस अन्तिम सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :–

> आया अभियुक्त अरसद के द्वारा दिनांक 19.11.2016 को रात्रि करीब दिन में 08:00 बजे मौजा ग्राम गण्डवा, तहसील तिजारा में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, परिवादी के कब्जेशुदा खेत में अनधिकृत रूप से बिना परिवादी की अनुमति के प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित कर, उसकी भूमि को सदोष अधिभोग में लेकर उसके भूमि संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप कारित किया एवं फरियादी को प्रकोपित कर उससे लोकशांति भंग कराने के आशय से फरियादी को गालियाँ देकर अपमानित किया जाकर अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया गया ?
>
> यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड के भागीदार होगा।

12. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में किसी भी गवाह द्वारा ऐसी कोई अभियोगी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं। प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावे।
13. उक्त तर्कों के विरोध में लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे बखूबी प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।
14. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्रतापूर्वक अवलोकन किया गया।
15. हस्तगत प्रकरण का परिवादी–आहत फूलचन्द है, जिसके द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी.08 के आधार पर प्रकरण का उद्भव हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन घटना को प्रमाणित करने हेतु परिवादी–आहत फूलचन्द को न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.04 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह–परिवादी–आहत अपनी मुख्य परीक्षा में पूर्णरूप से पक्षद्रोही रहा है, जिसके द्वारा अभियोजन घटना की ताईद संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है तथा अपनी जिरह में उक्त गवाह द्वारा अपने पुलिस बयानों का A से B भाग पुलिस को दिए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है एवं मुलजिमान से राजीनामा होने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह स्पष्ट रूप से इस तथ्य का खण्डन करता है कि मुलजिमान ने उसे जातिसूचक गाली दी हो।

    15.1. इस प्रकार उक्त गवाह जो हस्तगत प्रकरण का परिवादी–आहत होकर प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह है, वह अपनी साक्ष्य में पुलिस बयान प्रदर्श पी.07 से स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए पूर्णरूप से पक्षद्रोही रहा है तथा उसके द्वारा अभियोजन घटना का कतई समर्थन नहीं किया गया है।

16. इसके अतिरिक्त प्रकरण की अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.03 ओमवती है, जो

हस्तगत प्रकरण की आहता होकर चक्षुदर्शी साक्षी है। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि गुस्से में आकर उसने बढ़ा–चढ़ाकर बयान दे दिए थे। उसके साथ कोई बेअदबी नहीं की थी और न ही कोई जातिसूचक गाली दी थी। उक्त गवाह भी परिवादी की भाँति ही पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुई है और यह गवाह जिरह में भी ऐसा कोई कथन नहीं करती है, जिससे अभियोजन घटना की ताईद के संबंध में नाममात्र भी सहायता प्राप्त होती हो।

17. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड.02 रासिद, पी.ड.05 फजरू पुत्र रिगदू, पी.ड.06 विक्रम व पी.ड.08 फजरू पुत्र मौजू हैं। उक्त समस्त गवाहान भी प्रकरण में पूर्णरूपेण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उक्त गवाहान जिरह में भी ऐसा कोई कथन नहीं करते हैं, जिससे अभियोजन घटना लेशमात्र भी प्रमाणित होती हो।
18. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सिद्धांत शर्मा को पी.ड.07 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने दौराने अनुसंधान एकत्रित साक्ष्य के संबंध में न्यायालय के समक्ष विस्तृत कथन किए हैं और जिरह में यह स्वीकार किया है कि पटवार हल्का का मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी.18 का आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है।
19. प्रकरण का अन्य गवाह पी.ड.01 डॉक्टर इरसाद है, जो चिकित्सकीय गवाह है, जिसके द्वारा आहतगण के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया है। प्रकरण में उभय पक्षकारगण के मध्य धारा 323, भारतीय दण्ड संहिता के तहत राजीनामा हो चुका है, अतः उक्त गवाह की साक्ष्य का विवेचन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
20. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए परिवादी सहित अन्य समस्त गवाहान में से किसी भी गवाह ने अभियुक्त अरसद के द्वारा परिवादी के खेत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, उसकी भूमि को सदोष अधिभोग में लेने, परिवादी को लोकशांति भंग करने के उद्देश्य से प्रकोपित करने एवं परिवादी एवं उसकी पत्नी को जातिसूचक गालियाँ देकर अपमानित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं और न ही किसी भी साक्षी ने तहरीरी रिपोर्ट के तथ्यों को प्रमाणित करने के संबंध में कथन किए हैं। परिवादी सहित प्रकरण के समस्त गवाहान पूर्णरूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।
21. विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना कथानक सन्देह से परे वैश्वासिक तौर पर स्थापित करना आवश्यक है एवं अभियोजन पक्ष उक्तानुसार विवेचन उपरान्त अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में सफल नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त अरसद के द्वारा दिनांक 19.11.2016 को रात्रि करीब दिन में 08:00 बजे मौजा ग्राम गण्डवा, तहसील तिजारा में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, परिवादी के कब्जेशुदा खेत में अनधिकृत रूप से बिना परिवादी की अनुमति के प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया जाना, उसकी भूमि को सदोष अधिभोग में लेकर उसके भूमि संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप कारित किया जाना एवं फरियादी को प्रकोपित कर उससे लोकशांति भंग कराने के आशय से फरियादी को गालियाँ देकर अपमानित किया जाकर अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया जाना, अभियोजन की ओर से उक्तानुसार पेश की गई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त स्थितियों में अभियोजन का कथानक अभियुक्त अरसद के विरूद्ध किसी भी तौर पर सन्देह

से परे वैश्वासिक तौर पर स्थापित नहीं रहता है। इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य के उपर किए गए विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त अरसद के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के आरोप को सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णरूप से विफल रहा है। अतः अभियुक्त अरसद आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता से बरूए राजीनामा एवं धारा 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य हैं।

::–:: आदेश ::–::

22. **निष्कर्षतः** अभियुक्त अरसद पुत्र अकबर, निवासी गण्डवा, पुलिस थाना चौपानकी, हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से बरूए राजीनामा एवं आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 447, 504 सपठित धारा 34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(va), 3(i)(च)–3(i)(छ), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त अकबर पुत्र निहाला, निवासी गण्डवा, पुलिस थाना चौपानकी, हाल जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अभियुक्त अकबर के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है।

24. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत (यदि हो तो) को बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी नियमानुसार निस्तारित किया जावे। अभियुक्त की ओर से धारा 437क, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत–मुचलके पेश कर तस्दीक करवाए गए हैं, जो बाद गुजरने मियाद अपील अवधि स्वतः ही निरस्त समझे जावें।

(शैलेन्द्र व्यास)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण,
खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा

25. निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(शैलेन्द्र व्यास)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण,
खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा